बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

पटना/ दिनांक 15/05/2018

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 01-15/ 2012 417 चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **द बिहार आवामी को-ऑपरेटिव बैंक लि०, पटना** के निदेशक मंडल का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और चूंकि उक्त सहकारी समिति की उपविधियों के अनुसार निदेशक मंडल में अध्यक्ष के एक, उपाध्यक्ष के एक एवं निदेशक के आठ पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है किंतु निबंधक, सहयोग समितियों के पत्र संख्या 4992 दिनांक 01.11.2013 एवं पत्र संख्या 4996 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में वर्तमान आरक्षण के अनुपालन हेतु कम से कम बारह पदों का चुनाव कराया जाना है, अतएव अध्यक्ष के एक, उपाध्यक्ष के एक एवं निदेशक के दस पदों का निर्वाचन कराया जायेगा। इन पदों की आरक्षणवार स्थिति संलग्न प्रपत्र ई0-1 में दी गयी है।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न **अनुलग्नक-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार दी बिहार आवामी को-ऑपरेटिव बैंक लि0, पटना के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं निदेशक पद के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **दिनांक 30.06.2018 (शनिवार)** की तिथि नियत करता है तथा समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के निदेशक मंडल के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-335 दिनांक 16.04.2018 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31. 03.2018 निर्धारित की गयी है एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 09.05.2018 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में निदेशक मंडल के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर

आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी निदेशक मंडल के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए **प्रपत्र-ई॰ 1** में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना **दिनांक 04.06.2018 (सोमवार)** को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 6** में विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई॰ 18** में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562, 2215089)** अथवा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 417 पटना/ दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 417 पटना/ दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर -सह- निर्वाचन पदाधिकारी/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 417 पटना/ दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 417 पटना/ दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 417 पटना/ दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः प्रशासक/ प्रबंध निदेशक, दी बिहार आवामी को-ऑपरेटिव बैंक लि0, वक्फ मार्केट मुरादपुर अशोक राजपथ पटना-800004 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 417 पटना/ दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ उप सचिव/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.6.18

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

अनुलग्नक-1

द बिहार आवामी को-ऑपरेटिव बैंक लि० के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	4.06.2018 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	19.06.2018 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	20.06.2018 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	21.06.2018 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	30.06.2018 (शनिवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	30.06.2018 (शनिवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

प्रपत्र ई-1

सूचना का प्रपत्र

(निदेशक मंडल के पदधारकों के निर्वाचन के लिए)

द बिहार आवामी को-ऑपरेटिव बैंक लि0, पटना, निबंधन संख्या.............................., पता ....के निदेशक मंडल का निर्वाचन दिनांक.............................को किया जाना है।

मैं..निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 12 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	01 पद (अनारक्षित)
उपाध्यक्ष	01 पद (अनारक्षित)
निदेशक	02 पद (अनुसूचित जाति/जनजाति, जिसमें 50% पद महिला के लिए)
निदेशक	02 पद (पिछड़ा वर्ग, जिसमें 50% पद महिला के लिए)
निदेशक	02 पद (अति पिछड़ा वर्ग, जिसमें 50% पद महिला के लिए)
निदेशक	04 पद (अनारक्षित, जिसमें 50% पद महिला के लिए)

(ii) अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किंतु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय...................................अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर
(स्थान का नाम)
सकने की स्थिति में..को..पर दाखिल किया जा सकता
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)
है। नामांकन पत्र दिनांक .... 11 बजे पूर्वाह्‌ से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.........................से दिनांक.......................................तक ....बजे से............................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक......................को..............................पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।
(स्थान का नाम)

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक ....पर
(स्थान का नाम)
दाखिल की जा सकती है।

(vii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..................को 07 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक होगा।

(Viii) मतगणना दिनांक................को ....बजे से..पर की जायेगी।
(स्थान का नाम)

स्थान-

तिथि - निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर